

# मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: १२११२ / मा० धरुण ५७ / 2016-17

दिनांक:- २२/०१/१७

## आदेश

उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा जारी पत्र संख्या-462/8-3-16-34विविधि/08 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित 2011) में संशोधन 2016 को प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07/12/2016 के मद संख्या 11 पर अंगीकृत कर लिया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त संशोधित उपविधि के अनुसार ही भवन मानचित्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जाए।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उपाध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण।
2. अपर सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण।
3. वित्त नियंत्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण।
4. मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण।
5. मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण।
6. नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण।
7. समस्त जोनल अधिकारी, मेरठ विकास प्राधिकरण।
8. समस्त प्रभारी मानचित्र, मानचित्र अनुभाग, मेरठ विकास प्राधिकरण।
9. प्रभारी कम्प्यूटर को इस निर्देश के साथ की उक्त उपविधि को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करायें।

उपाध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ।